राजस्थान–सरकार

कार्यालय आबकारी आयुक्त, राजस्थान,

आबकारी भवन, 2–गुमानियावाला, पंचवटी, उदयपुर–313001

क्रमांक F.32(B)(After Policy 2026-27)/EX/L/2026-06481-9018219/665 दिनांक 28.01.2026

कम्पोजिट रिटेल ऑफ मदिरा दुकानों के वर्ष 2025–26 के अनुज्ञाधारियों को वर्ष 2026–27 के लिये अनुज्ञापत्र नवीनीकरण के लिये आवेदन प्रस्तुत करने के संबंध में सूचना

राजस्थान राज्य के कम्पोजिट रिटेल ऑफ मदिरा दुकानों के वर्ष 2025–26 के समस्त पात्र एवं इच्छुक अनुज्ञाधारियों को सूचित किया जाता है कि संशोधित आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2025–29 में उनके वर्ष 2025–26 के लिये जारी अनुज्ञापत्रों का वर्ष 2026–27 हेतु नवीनीकरण आवेदन दिनांक 11.02.2026 तक **संबंधित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय** में निर्धारित आवेदन शुल्क (रू. 2 करोड़ रिजर्व प्राईस की दुकान के लिए रू. 0.60 लाख तथा इसके अधिक रिजर्व प्राईस हेतु रू. 1.20 लाख) ऑनलाईन/चालान से राजकोष में जमा करवाकर प्रस्तुत कर देवे। **दिनांक 11.02.2026 तक** नवीनीकरण आवेदन प्राप्त नही होने पर अनुज्ञाधारी का नवीनीकरण करवाने का विकल्प समाप्त हो जायेगा तथा दुकान/समूह (Cluster) का आवंटन सीमित निविदा/ई–नीलामी /ई–निविदा द्वारा किया जाएगा।

अतः वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिये नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञाधारी अपने **SSO id login से IEMS-2.0 Module में जाकर Shop Renewal for 2026-27** में नवीनीकरण का आवेदन/विकल्प पत्र व नवीनीकरण फीस के साथ दिनांक 11.02.2026 को मध्यरात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन प्रस्तुत कर सकते है। वर्ष 2026–27 हेतु अनुज्ञापत्र नवीनीकरण से संबंधित समस्त जानकारी के लिए विभागीय वेबसाइट **https://iems.rajasthan.gov.in** का अवलोकन करे।

इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अतिरिक्त आबकारी आयुक्त कार्यालय या जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय से एवं नियन्त्रण कक्ष दूरभाष नंबर **0294–2525154** पर सम्पर्क करे।

आबकारी आयुक्त,राजस्थान

Signature valid
Digitally signed by Shivprasad M Nakate
Designation : Commissioner
Date: 2026.01.28 18:25:43 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No.: 20183133